एकेएस विश्वविद्यालय, सतना (म.प्र.)

एकेएस–बी0एड0 सीईटी–2017
प्रवेश नियम पुस्तिका

ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की प्रारम्भ तिथि www.aksuniversity.ac.in, www.aksuniversity.com	25 अप्रैल, 2017
ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की अंतिम तिथि	25 मई, 2017
परीक्षा दिनांक व दिन	04 जून, 2017, रविवार
परीक्षा शुल्क	रू. 500/– (पांच सौ रूपये)
पोर्टल शुल्क	रू. 80/– (अस्सी रूपये)

समय सारणी

परीक्षा, दिनांक एवं दिन	परीक्षा प्रारम्भ समय	उत्तरशीट्स वितरण समय	उत्तरशीट में आवश्यक जानकारियॉ भरने का समय	प्रश्न–पत्र वितरण समय	प्रश्न–पत्र परीक्षण का समय	उत्तरशीट में उत्तर भरने का समय
04 जून, 2017 रविवार	प्रातः 09:00 बजे से	प्रातः 09:00 से 09:10 बजे तक (10 मिनट)	प्रातः 09:00 से 09:10 बजे तक (10 मिनट)	प्रातः 09:10 बजे	प्रातः 09:10 से 09:15 बजे तक (05 मिनट)	प्रातः 09:15 से 11:15 बजे तक (2:00 घंटे)

टिप्पणी :–

1. परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारम्भ होने के समय से 15 मिनट तक ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी। इसके पश्चात् परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
2. परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष छोड़ने के पूर्व ओ.एम.आर. उत्तरशीट वीक्षक को अनिवार्य रूप से सौंपना होगा।
3. परीक्षा कक्ष में मोबाईल फोन, कैल्कूलेटर, लॉग टेबल्स, नकल पर्चा एवं व्हाईटनर आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है।
4. लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश–पत्र, विश्वविद्यालय के वेबसाईट www.aksuniversity.ac.in, www.aksuniversity.com से परीक्षा के तीन दिवस पूर्व प्राप्त कर सकते है।
5. परीक्षा केन्द्र पर आवेदक को काला बाल प्वाइंट पेन, परीक्षा हॉल में प्रवेश हेतु प्रवेश–पत्र के साथ साथ फोटोयुक्त पहचान पत्र जैसेः– मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेस, फोटोयुक्त अंकसूची तथा पासपोर्ट में से कोई एक लाना अनिवार्य होगा। अन्यथा अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उसे परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।

एकेएस बी0एड0 सीईटी–2017 .

बी.एड. दो वर्षीय पाठ्यक्रम 2017 के प्रवेश हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त

1. प्रस्तावना

1.1 सामान्य एवं उद्देश्य – एकेएस विश्वविद्यालय, सतना के शिक्षण संकाय में सत्र 2017 में प्रवेश हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त, 2017 जारी किये जा रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एन0सी0टी0ई0) से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के शिक्षण विभाग में बी.एड. दो वर्षीय पाठ्यक्रम में उपलब्ध सीटों पर प्रवेश के लिये एकेएस विश्वविद्यालय, सतना द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर निर्मित मेरिट सूची अनुसार प्रवेश होंगे। प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर केवल चयनित होने मात्र से किसी प्रत्याशी को बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश का अधिकार प्राप्त नहीं होगा अपितु साक्षात्कार के समय उपस्थित आवेदक से अपेक्षित सभी मूल प्रमाणपत्रों के सही एवं नियमानुसार पाए जाने पर ही आवेदक को प्रवेश की पात्रता होगी। अतः ऑनलाइन आवेदन पंजीकृत करने के पूर्व आवेदक को पूरी तरह सुनिश्चित करना चाहिये कि वह चयन की पात्रता/योग्यता रखता है अथवा नहीं।

प्रवेश परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची का प्रकाशन किया जायेगा। मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र (Original T.C.) यथास्थिति माइग्रेशन सर्टिफिकेट के साथ प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क राशि का डिमांड ड्राफ्ट/कैश/चैक द्वारा जमा कराने के पश्चात् ही आवेदक के प्रवेश की प्रक्रिया पूरी होगी।

1.2 अधिकार :

(अ) बी.एड. में प्रवेश हेतु प्रत्याशियों के चयन संबंधी नीति निर्धारित करने के लिये एकेएस विश्वविद्यालय, सतना को पूर्ण अधिकार है। इन नियमों की व्याख्या करने तथा प्रवेश संबंधी प्रकरणों पर निर्णय लेने के लिये एकेएस विश्वविद्यालय, सतना पूरी तरह सक्षम है तथा उसके निर्णय सर्वमान्य एवं बंधनकारी होंगे ।

(ब) एकेएस विश्वविद्यालय, सतना को इन प्रवेश मार्गदर्शी सिद्धान्त और प्रवेश प्रक्रिया को परिवर्तित एवं इनमें संशोधन करने का अधिकार रहेगा।

(स) प्रवेश संबंधी किसी भी विवाद या शंका पर कुलसचिव, एकेएस विश्वविद्यालय, सतना को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा, जिस पर विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम होगा।

1.3 संस्था में उपलब्ध सीट संख्याओं का विभाजनः

(क) एकेएस विश्वविद्यालय, सतना में बी.एड. प्रवेश–चयन परीक्षा 2016 द्वारा दो वर्षीय बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु स्थानों का विभाजन निम्नानुसार होगा :–

1. मध्यप्रदेश राज्य के मूल निवासी
2. अन्य बाहरी राज्यों के अभ्यर्थी

संस्था में उपलब्ध स्थानों का श्रेणी एवं वर्गवार आवंटन कण्डिका क्रमांक 2 तथा उसकी उपकण्डिकाओं के अनुसार रहेगा। संस्था में कुल उपलब्ध स्थानों में से 55 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य के निवासियों के लिए और अधिकतम 45 प्रतिशत स्थान मध्यप्रदेश राज्य के बाहर के निवासियों के लिए उपलब्ध रहेंगे।

*प्रदेश, अन्य प्रदेश, श्रेणी एवं वर्गवार सीट न भर पाने की स्थिति में रिक्त सीटों को अन्य प्रदेश, प्रदेश, श्रेणी एवं वर्ग से भरा जा सकता है।

(ख) **आयु सीमा के संबंध में:–** राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के नियमानुसार बी0एड0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आयु सीमा के बंधन का प्रावधान नहीं है।

1.4 **बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश की पात्रता** : आवेदक को बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु निम्नांकित शर्ते पूर्ण करना आवश्यक हैं –

1.5.1 शैक्षणिक योग्यता :

प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक या समकक्ष अंक पाने वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त इंजीनियरिंग या तकनीकी जिसमें विज्ञान एवं गणित में विशेषज्ञता हो, में 55 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी अथवा इनके समतुल्य अन्य अर्हता वाले अभ्यर्थी भी प्रवेश परीक्षा के लिये पात्र होंगे।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए उपरोक्तानुसार पात्रता में 05 प्रतिशत अंक या समकक्ष की छूट रहेगी।

उन्हीं स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के प्राप्तांकों को मान्य किया जाएगा जिनकी पाठ्यक्रम अवधि स्नातक हेतु न्यूनतम तीन वर्ष एवं स्नातकोत्तर हेतु न्यूनतम दो वर्ष होगी। जो परिक्षार्थी स्नातक (अंतिम वर्ष) परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं वे भी इस प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं किंतु प्रवेश के समय उन्हें स्नातक पाठ्यक्रम की उपरोक्त वर्णित अंको के साथ उत्तीर्ण अंकसूची या समकक्ष जमा करना अनिवार्य होगा।

1.5.2 मध्यप्रदेश के मूल निवासी की शर्ते :

(i) जो भारत का नागरिक हो।

(ii) (क) जिसने वर्ष 2012 से वर्ष 2017 के पॉच वर्षो की अवधि में मध्यप्रदेश में स्थित शिक्षण संस्था में कम से कम लगातार तीन वर्षो तक अध्ययन किया हो।

अथवा

(ख) जो नीचे दिये गये स्पष्टीकरण (1) के अनुसार मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी हो।

अथवा

(ग) जो निम्नलिखित का पुत्र/पुत्री/पत्नी हो :

1. मध्यप्रदेश शासन के सेवारत अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारी अथवा मध्यप्रदेश शासन की सेवा में होते हुए मृत कर्मचारी अथवा मध्यप्रदेश के संवर्ग में धारित अखिल भारतीय सेवा का अधिकारी

अथवा

2. केन्द्रीय शासन का ऐसा कर्मचारी (जिसमें सशस्त्र सेना के कर्मचारी, भारतीय डाकतार, टेलीफोन तथा रेलवे विभाग के कर्मचारी भी सम्मिलित हैं) अथवा सार्वजनिक उपक्रम का ऐसा कर्मचारी जो प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ करने की तिथि से अथवा उसके पूर्व की तिथि से प्रवेश की तिथि तक मध्यप्रदेश में पदस्थ हो।

अथवा

3. ऐसा व्यक्ति जो केन्द्रीय शासन अथवा राज्य शासन की किसी योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश में स्थाई रूप से बस गया हो।

स्पष्टीकरण–1

मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासीः उम्मीदवार मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी तभी माना जावेगा जब वह नीचे दी गई शर्तो – (अ) एवं (ब) की पूर्ति करेगाः

(अ) वह मध्यप्रदेश में पैदा हुआ हो,

अथवा

उम्मीदवार स्वयं या उसके पिता या माता (यदि पिता जीवित न हो) अथवा यदि पिता/माता दोनों जीवित न हों तो उसका वैध अभिभावक (देखे स्पष्टीकरण–2) मध्यप्रदेश में निरन्तर 15 वर्ष से रह रहा/रही हों।

अथवा

उम्मीदवार स्वयं अथवा उसका पिता या माता (यदि पिता जीवित न हो) अथवा यदि पिता/माता दोनों जीवित न हों तो उसका वैध अभिभावक परीक्षा के वर्ष के पहले कम से कम पांच वर्षो से मध्यप्रदेश में कोई व्यवसाय अथवा व्यापार कर रहा हो अथवा कोई अचल सम्पत्ति रखता हो,

और

(ब) उसने मध्यप्रदेश स्थित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में कम से कम तीन वर्ष तक अध्ययन किया हो, जिसमें कक्षा एक के पूर्व की शिक्षा सम्मिलित नहीं होगी।

अथवा

उसने मध्यप्रदेश स्थित किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था से आठवीं कक्षा अथवा 10+2 प्रणाली की दसवीं/बारहवीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी संबंधी प्रमाण पत्र संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा अथवा कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा जारी किया जाना चाहिए। इस प्रमाण पत्र के संदर्भ क्रमांक, जारी करने की तिथि व कार्यालय की सील तथा जारी करने वाले अधिकारी के नाम व पद का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है।

स्पष्टीकरण–2

अभिभावक

किसी भी उम्मीदवार के अभिभावक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संबंधित जिला दण्डाधिकारी की राय में आवेदक के पिता और माता की मृत्यु के बाद से आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि तक उसका अथवा उसकी सम्पति का अथवा दोनों का वास्तविक संरक्षक/नियंत्रक हो। अभिभावक होने के संबंध में सक्षम न्यायालय से तदाशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि उम्मीदवार के पिता जीवित न हों परन्तु माता जीवित हो तो माता को ही उम्मीदवार का स्वाभाविक अभिभावक माना जाएगा और अन्य किसी व्यक्ति को अभिभावक के रूप में मान्यता नहीं होगी।

स्पष्टीकरण–3

दत्तक पुत्र/पुत्री

यदि कोई आवेदक अनारक्षित अथवा आरक्षित श्रेणी में दत्तक पुत्र/पुत्री के आधार पर प्रवेश चाहता है तो उसे दत्तक पुत्र/पुत्री होने के संबंध में समाधान कारक प्रमाण प्रस्तुत करना होगा जो प्रवेश के लिये आवेदन की निर्धारित अंतिम तिथि से कम से कम पांच वर्ष पूर्व प्रतिपादित वैध दत्तकनामा हो। दत्तकनामा तब तक मान्य नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसकी पुष्टि विद्यालय/ महाविद्यालय के अभिलेख तथा उच्च/माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक/स्नातक भाग–एक अथवा गत पांच वर्षों से आवेदक द्वारा उत्तीर्ण किसी परीक्षा के प्रमाण पत्र से नहीं हो जाती है। इन नियमों के अंतर्गत प्रवेश की पात्रता के लिए ऊपर वर्णित अभिलेख में दर्ज आवेदक के पिता का नाम ही केवल मान्य होगा। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के दत्तक आवेदकों के मामलों में यह आवश्यक होगा कि ऐसे आवेदक गोद लिये जाने के पूर्व भी क्रमशः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के ही रहे हों। ऐसे आवेदक जो मूलतः अन्य जाति के हों तथा उन्हें किसी अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के व्यक्तियों ने गोद लिया हो, ऐसे आवेदक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को प्राप्त सुविधा एवं लाभ के पात्र नहीं होगें।

2. **सीटों का आरक्षण :**

अ– **आरक्षण प्रतिशत :** मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के लिए 55 प्रतिशत एवं बाहरी राज्यों हेतु 45 प्रतिशत स्थान आरक्षित हैं। मध्यप्रदेश के मूल निवासियों के विभिन्न श्रेणियों के लिए स्थानों का आरक्षण प्रतिशत निम्नानुसार होगा :

स0क0	श्रेणी	मध्यप्रदेश के मूल निवासी
01	अनुसूचित जाति	16 प्रतिशत
02	अनुसूचित जनजाति	20 प्रतिशत
03	अन्य पिछड़ा वर्ग (चिकनी–परत छोड़कर)	14 प्रतिशत

ब– मध्यप्रदेश राज्य के सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशियों में विभिन्न संवर्गो का आरक्षण निम्नानुसार होगा :

1. सैनिक सवंर्ग के प्रत्याशियों के लिये 03 प्रतिशत।
2. स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र/पुत्रियों एवं पौत्र/पौत्रियों/ नातियों/नातिनों के लिए 03 प्रतिशत।
3. निःशक्त प्रत्याशियों के लिये 03 प्रतिशत।
4. विधवा/परित्यक्ता के लिये 01 प्रतिशत।

महिलाओं के लिये आरक्षण शासन के नियमानुसार 30 प्रतिशत क्षैतिजीय (Horizontal) हैं। किन्तु कुल स्थानों के 30 प्रतिशत सीटों पर महिलाओं को उनकी मेरिट (योग्यता क्रम) के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा।

2.1 **सैनिक संवर्ग (एस)** : कुल स्थानों के तीन प्रतिशत स्थान क्षैतिजीय आरक्षण (Horizontal Reservation) के अधीन सैनिक कर्मचारियों व उनके पुत्र, पुत्रियों या पत्नियों के लिये आरक्षित होंगी।

सैनिक वर्ग में रक्षा कर्मचारियों के रूप में सेवा कर चुके भूतपूर्व सैनिक, कार्यरत रक्षा कर्मचारी तथा ऐसे रक्षा कर्मचारी जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो चुकी हो या जो सेवा के दौरान स्थाई रूप से विकलांग हो गये हों, आते हैं। इस वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु दावा करने वाले उम्मीदवार को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित भूतपूर्व सैनिक का पुत्र/पुत्री है। भूतपूर्व सैनिक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई, भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा के अंतर्गत आता है।

भूतपूर्व सैनिक के पुत्र/पुत्री के फलस्वरूप प्रवेश का दावा करने वाले उम्मीदवार को अपने पिता/माता का भूतपूर्व सैनिक संबंधी प्रमाण–पत्र तथा अपने पिता/माता के मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित होने संबंधी प्रमाण पत्र संबंधित जिले के जिला सैनिक कल्याण अधिकारी (पूर्व पदनाम सचिव जिला सैनिक बोर्ड) से प्राप्त कर प्रस्तुत करने होगें।

अथवा

वह मध्यप्रदेश के बाहर पदस्थ ऐसे रक्षा कर्मचारी का/की पुत्र/पुत्री है, जो मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी हैं। ऐसे उम्मीदवार को अपने पिता/माता के मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी होने संबंधी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

अथवा

प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ करने की तिथि से अथवा उसके पूर्व की तिथि से प्रवेश की तिथि तक मध्यप्रदेश मे पदस्थ रक्षा कर्मचारी का/की पुत्र/पुत्री है।

टिप्पणीः सैनिक वर्ग के अंतर्गत किसी उम्मीदवार की पात्रता के संबंध में किसी संदेह अथवा विवाद की स्थिति में संचालक, सैनिक कल्याण, मध्यप्रदेश द्वारा प्रदत्त निर्णय अंतिम होगा।

2.2 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संवर्ग **(F.F.)** – कुल स्थानों के तीन प्रतिशत स्थान क्षैतिजीय आरक्षण (Horizontal Reservation) के अधीन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग में स्वतंत्रता सेनानियों के उन पुत्र/पुत्रियों एवं पौत्र/पौत्रियों /नातियों/नातिनों को भी प्रवेश की पात्रता होगी जो मध्यप्रदेश के वास्तविक निवासी होने की शर्त भी पूर्ण करते हैं। इस

नियम के प्रयोजन के लिये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से तात्पर्य यह है कि उसका नाम मध्यप्रदेश के संबंधित जिले के कलेक्ट्रेट में रखी हुई सूची में पंजीकृत हैं।

टिप्पणीः स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले उम्मीदवार के संबंधित जिले के कलेक्टर से निर्धारित प्रारूप में प्रमाण–पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। केवल कलेक्टर या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण–पत्र ही किसी उम्मीदवार के इस वर्ग का होने संबंधी एक मात्र वैध प्रमाण पत्र होगा।

2.3 **निःशक्तजन (विकलांग)ः** कुल स्थानों का तीन प्रतिशत क्षैतिजीय आरक्षण (Horizontal Reservation) के अधीन निःशक्तजनों (विकलांग) के लिए उपलब्ध रहेगा। इस संवर्ग के स्थानों के विरूद्ध प्रवेश का दावा करने वाले उम्मीदवार को विकलांगता संबंधी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

2.4 **विधवा/परित्यक्ताः** इस संवर्ग का दावा करने पर महिला प्रत्याशी को प्रवेश के समय सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ऐसा वैधानिक प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिससे स्पष्ट हो कि प्रत्याशी विधवा/परित्यक्ता महिला है। कुल 30 प्रतिशत महिला स्थानों के लिये आरक्षित स्थानों के अंतर्गत एक प्रतिशत स्थान विधवा/ परित्यक्ताओं के लिए आरक्षित है।

2.5 यदि आवेदक भारत सरकार या मध्यप्रदेश सरकार द्वारा संचालित किसी योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित किया गया है तो इस संवर्ग का समक्ष अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

2.6 संबंधित बाहरी राज्य के अधिसूचित एवं सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के आधार पर ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को लाभ मिल सकेगा।

2.7 सक्षम अधिकारी द्वारा जारी तत्संबंधी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर ही संबंधित वर्ग/संवर्ग का लाभ देय होगा।

नोटः किसी भी संवर्ग की सीट रिक्त रहने की स्थिति में उन्हें अन्य वर्गों के अभ्यर्थियों द्वारा भरा जायेगा।

3. प्रवेश प्रक्रिया की संक्षिप्त रूपरेखा :

3.1.1 (अ) बी0एड0 प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने वाले आवेदकों को घोषित/निर्धारित तिथि अनुसार वेबसाईट www.aksuniversity.ac.in, www.aksuniversity.com के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन पत्र भरना होगा।

3.1.1 (ब) पंजीकृत आवेदकों के दस्तावेजों का सत्यापन :

प्रवेश परीक्षा में चयनित आवेदकों को प्रवेश के समय विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित स्थान पर स्वयं उपस्थिति होकर अपने समस्त दस्तावेजों का मूल अभिलेखों से सत्यापन कराना अनिवार्य है। दस्तावेजों के सत्यापन नहीं कराने पर आवेदक बी0एड0 में प्रवेश हेतु मान्य नहीं होंगे तथा इसका सम्पूर्ण दायित्व आवेदक का होगा।

3.1.2 आवेदकों को निम्न दस्तावेजों (जो लागू हो) का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा –

1. जन्म तिथि प्रमाण–पत्र
2. स्नातक अथवा स्नातकोत्तर अंकसूची
3. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (चिकनी–परत छोड़कर) एवं सैनिक, विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा विधवा अथवा परित्यक्ता संबंधी संवर्ग में आरक्षण हेतु मान्य प्रमाण–पत्र
4. म0प्र0 मूल निवासी प्रमाण–पत्र
5. नवीनतम आय प्रमाण–पत्र (अन्य पिछड़ा वर्ग (चिकनी–परत छोड़कर) के प्रत्याशियों के लिये)

ऑनलाईन आवेदन करते समय आवेदकों को चाहिये कि वे अपने प्रमाण–पत्रों के अनुसार दर्ज जानकारी जैसे नाम, पिता अथवा पति का नाम, माता का नाम, प्राप्तांक, कुल अंक, श्रेणी, संवर्ग, धर्म, जन्मतिथि, स्वयं का मोबाइल नंबर, पत्र व्यवहार एवं मूल निवास का पता, हस्ताक्षर एवं फोटोग्राफ का मिलान अवश्य कर लें जिससे सत्यापन के समय कोई परेशानी न हो। ऑनलाईन आवेदन ठीक प्रकार भरा जाना आवेदकों को स्वयं सुनिश्चित करना होगा। ऑन लाइन आवेदन के अंतिम रुप से सबमिट (submit) करने के उपरांत दर्ज प्रविष्टियों को किसी भी दशा में बदला नहीं जायेगा। ऑनलाईन आवेदन में त्रुटि होने अथवा गलत जानकारी दर्ज करने की दशा में पंजीयन के निरस्त होने का संपूर्ण उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

3.2 प्रवेश परीक्षा : यह परीक्षा दो भागों में सम्पन्न कराई जायेगी।

भाग–1

बी0एड0 दो वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु लिखित प्रवेश परीक्षा एकेएस विश्वविद्यालय, सतना, द्वारा आयोजित की जावेगी। प्रवेश परीक्षा में 200 अंकों का एक बहुविकल्पीय प्रश्नपत्र होगा एवं इसका पाठ्यक्रम निम्नानुसार विभाजित होगा –

क्रमांक	विद्या	प्रश्न संख्या	अंक
1	सामान्य मानसिक चेतना (General Mental Ability)	30	60
2	सामान्य चेतना (General Awarenss)	20	40
3	सामान्य हिन्दी एवं अंग्रेजी (General Hindi & English)	20 (10+10)	40
4	शैक्षणिक अभिरूचि (Teaching Aptitude)	30	60
	कुल (Total)	100	200

भाग–2

प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित समस्त/अर्ह आवेदकों को एकेएस विश्वविद्यालय, सतना द्वारा आयोजित 50 अंक की साक्षात्कार परीक्षा में सम्मिलित होना होगा।

4 एकेएस विश्वविद्यालय, सतना में प्रवेश हेतु साक्षात्कार प्रक्रिया :

4.1 प्रवेश परीक्षा पश्चात् एकेएस विश्वविद्यालय, सतना द्वारा समस्त/ अर्ह आवेदकों को बी0एड0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु साक्षात्कार में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा।

4.2 आवेदकों को प्रवेश के समय मूल दस्तावेजों का सत्यापन कराना अनिवार्य है। साथ ही प्रवेश के समय प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क राशि जमा कराने के पश्चात् ही आवेदक के प्रवेश की प्रक्रिया पूरी होगी।

5 **प्रवेश की प्रक्रिया** :

5.1 आवेदक को www.aksuniversity.ac.in, www.aksuniversity.com में ऑनलाइन आवेदन के समय प्रस्तुत समस्त अभिलेखों को प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसके साथ ही अभिप्रमाणीकरण के समय आवेदक को प्रदत्त सत्यापन पत्रक, मूल स्थानांतरण प्रमाण–पत्र/माइग्रेशन प्रमाण पत्र, गैप सर्टिफिकेट (जो लागू हो) प्रस्तुत करना होगा। सभी मूल दस्तावेजों और उनकी दो छायाप्रतियां भी प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

5.2 एकेएस विश्वविद्यालय द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों से सभी प्रमाण–पत्रों के अभिप्रमाणीकरण करने के पश्चात् मूल स्थानांतरण प्रमाण–पत्र (टी.सी.) एव मूल माइग्रेशन प्रमाण पत्र, गैप सर्टिफिकेट (जो लागू हो) को वे अपने पास रखते हुए स्थान आवंटन पत्र पर हस्ताक्षर कर सील लगायेंगे।

5.3 आवंटित पत्र के साथ प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क राशि प्रवेश समयावधि में जमा करना अनिवार्य होगा। समयावधि में वांछित राशि जमा नहीं करने पर प्रवेश आवंटन स्वयंमेव निरस्त हो जाएगा।

5.4 यदि किन्ही दो आवेदकों के मेरिट अंक समान है, तो उनकी जन्म तिथि के आधार पर वरिष्ठ आवेदक को पहले वरीयता दी जाएगी।

5.5 वांछित दस्तावेजों एवं शुल्क राशि को जमा करने के पश्चात् आवेदक निर्धारित अंतिम तिथि तक अपनी उपस्थिति दर्ज करायेंगे।

6. **प्रवेश का निरस्तीकरण** : यदि कोई प्रत्याशी गलत या असत्य जानकारी के आधार पर अथवा तथ्यों को छिपाने या किसी अन्य त्रुटि या अनदेखी के कारण अथवा प्रवेश के बाद प्रत्याशी की प्रवेश संबंधी पात्रता में कोई कमी पायी जाने या उसके मूल प्रमाण–पत्रों अथवा दस्तावेजों के जाली पाये जाने पर आवेदक का प्रवेश बिना कोई सूचना दिये तत्काल निरस्त किया जायेगा और आवेदक द्वारा जमा शुल्क राशि वापस नहीं की जायेगी। ऐसे आवेदकों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अनुरूप विधिक कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिये आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।

7. अन्य प्रक्रिया

7.1 **त्रुटिपूर्ण या अपूर्ण प्रमाण पत्र** : यदि आरक्षण या किसी अन्य दावे संबंधी प्रस्तुत प्रमाण–पत्र या अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रवेश के समय गलत या अपूर्ण पाये जाते हैं तो आवेदक को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

एकेएस विश्वविद्यालय, सतना

एकेएस–बी.एड.सीईटी (2017)
लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम .

भाग–1

सामान्य मानसिक योग्यता

तर्क करना, संबंध देखना, एनालॉजी, आंकिक योग्यता, आकाशीय संबंध, विषमता को पहचानना, आंकिक श्रेणी, अक्षर श्रेणी, अक्षर, अंक और चित्रों द्वारा संबंध देखना, सांकेतिक भाषा, छुपे हुए चित्र, अंक एवं आकृति, गणितीय संक्रियाएं, चित्रों का मिलान, घन संबंधी समस्याएं एवं विभिन्न प्रकार के पैटर्न इत्यादि।

भाग–2

सामान्य चेतना

सामान्य विज्ञान खंड को छोडकर शेष सभी खंडों का स्तर मध्यप्रदेश के विशेष संदर्भ एवं भारत तक सीमित होगा।

1. **भारतीय इतिहासः** भारतीय सांस्कृतिक विकास, ऐतिहासिक घटनाऐं, भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास 1857 से 1947 तक, 1947 के बाद के घटनाक्रम।
2. **राजनीति विज्ञानः** मौलिक कर्तव्य एवं अधिकार, शिक्षा, भाषा, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय एकता, नागरिकता, मताधिकार, राष्ट्रीय प्रतीक तथा राष्ट्रीय व्यक्तित्व, लोकसभा, राज्य सभा संबंधी मुख्य संवैधानिक प्रावधान।

3 **अर्थशास्त्रः** सामाजिक एवं आर्थिक विकास, जनसंख्या परिप्रेक्ष्य, सकल राष्ट्रीय उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा का बजट–राष्ट्र एवं राज्य, नियोजन प्रक्रिया, कृषि, ग्रामीण विकास, औद्योगिक एवं व्यापारिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था, बैंक प्रणाली, रोजगार समस्या, वर्तमान आर्थिक घटनाक्रम।

4 **भूगोलः** प्राकृतिक संसाधन एवं संपदा, पर्यावरण एवं पारिस्थतिकी, भारत के राज्यों की भौगोलिक विशेषताऐं।

5 **सामान्य विज्ञानः** मुख्य आविष्कार एवं आविष्कारक, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान, सामान्य वैज्ञानिक घटनाऐं।

6 **समसामयिक घटनाक्रम एवं खेल–कूद।**

भाग–3
सामान्य हिन्दी

अ. व्याकरण

1.वर्णमाला – स्वर, व्यंजन, अयोगवाह, अनुनासिक, अनुस्वार
2.संज्ञापद, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय, क्रिया विशेषण का व्यावहारिक प्रयोग
3.समास –रचना एवं प्रकार
4.संधि – नियम एवं प्रकार
5.कथन (वाक्य रचना) के प्रकार – विनम्रता सूचक, विधि–निषेध, काल–बोध, स्थान एवं दिशा बोध
6.कारण–कार्य संबंध, अनुक्रम
7.व्याकरणिक अशुद्धियां

ब. शब्द बोध

1.शब्द रचना – उपसर्ग, प्रत्यय एवं इनके अर्थ मूलक प्रभाव,
2.शब्द प्रकार – तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर, नवनिर्मित,
3.शब्दार्थ – पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी, युग्म
4.अशुद्धि संशोधन – उच्चारणगत्, वर्तनीगत, शब्द व शब्दार्थगत
5.हिन्दी के पारिभाषिक एवं तकनीकी शब्द, पारिभाषिक शब्द निर्माण के आधार
6.पारिभाषिक शब्द– प्रशासनिक, मानविकीय, वाणिज्यिक

स. रचना

(क) प्रतिवेदन
(ख) आदेश
(ग) ज्ञापन
(घ) अधिसूचना
(ड.) परिपत्र
(च) अनुस्मारक
(छ) पृष्ठांकन
मुहावरे तथा लोकोक्तियॉ, अर्थ एवं प्रयोग
गद्यांश एवं अवबोध प्रश्न

द. 1.मानक भाषा – स्वरूप एवं लक्षण
2.वाक्य रचनागत अशुद्धियों की पहचान

भाग–4
शैक्षणिक अभिरूचि

बच्चों के प्रति अभिवृत्ति, अनुकूलन की योग्यता, व्यवसाय संबंधी सूचनाएं एवं जानकारी, शिक्षकीयवृत्ति में रूचि।

AKS University, Satna

AKS-B.Ed.CET(2017)
Syllabus of Entrance Examination

Part-1
General Mental Ability

Reasoning, Seeing relationship, Analogies, Numerical ability and Spatial relationship, Odd man out, Number series, Letter series, Relationship through letters, numbers and figures, Code language, Hidden figures, Mathematical operations, Matching figures, Cube problems and Patterns of different kinds etc.

Part-2
General Awareness

The focus will be limited to India and with special reference to Madhya Pradesh, except in the area of General Science.

1. **Indian History:** Indian Cultural Development, Historical events, History of Indian Independence (1857 to 1947), Development after 1947.
2. **Political Science**: Fundamental Duties and Rights, Important Provisions of Constitution regarding Education, Language, Cultural, National unity, Citizenship, Franchise, National Symbol and National Personalities, Parliament Assemblies.
3. **Economics**: Socio-economic Development, Population Perspectives, Gross National Product, Per Capita Income, Education Budget – State and Country, Planning Process, Agriculture, Rural Development, Industrial and Commercial Development, Indian Economy, Banking System, Employment Problem, Current Economic Events.
4. **Geography**: Natural Resources and Wealth, Environment and Ecology, Geographical features of Indian States.
5. **General Science:** Important Inventions and Inventors, Health and Hygiene, General Scientific Phenomenon.
6. **Current Affairs and Sports.**

Part-3

General English

1- Simple and Compound Sentences
2- Type of Clauses
3- Transformation of Sentences
4- Tenses
5- Change of Voice and Narration
6- Modals
7- Verb Structures
8- Tag Questions
9- Propositions
10- Prefixes and Suffixes
11- Synonyms and Antonyms
12- Reading Comprehension - Comprehension of a passage containing about 300 words dealing with a subject of general nature followed by multiple choice questions.

Part-4

Teaching Aptitude

Aptitude towards Children, Adaptability, Professional Information and Interest in Teaching Profession.